दां.प्र.क. 769/22 शा. वि० सुनिल कुमार

Witness No.....04.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken

the.....12-03-2025.....day of.....Witness's apparent age.....45.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक कथन.....my name is.....भागवत साहू.....

Son of.....श्री ररू राम साहू.....occupation.....किसानी.....

address.....साकिन मोहगांव, थाना नगरदा, जिला सक्ती (छ.ग.)

समय 12:00 बजे

राज्य द्वारा श्री अरविंद जायसवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ।

01- मै आरोपी सुनील को गांव का होने के कारण जानता हूॅ, मैं मृतक साहू रमेश साहू को भतीजा होने के कारण जानता हूॅ ।

02- घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व की है । घटना दिनांक को आरोपी सुनील के कार में बैठकर रमेश एवं अरुण जा रहे थे । उक्त कार को आरोपी सुनील चला रहा था । जिसे स्पीड में चलाते हुए आरोपी ने खंभे में ठोकर मार दिया था । मैं घटना के समय मौके पर नहीं था, मुझे उक्त घटना की जानकारी गांव वाले दिये थे जिनका नाम मुझे आज याद नहीं है । घटना दिनांक को मृतक भागवत कार्यक्रम में खाना बना रहा था उसी दौरान आरोपी का 3-4 बार फोन आया था कि मेरे साथ चलो परन्तु मृतक नहीं जा रहा था जिस पर आरोपी मृतक को लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर आ गया था और अपने साथ मृतक को अपने साथ लेकर चला गया था । उक्त घटना दिन में लगभग 11.00 बजे की है ।

03- पुलिस वाले मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं किये थे । साक्षी को धारा 175 का नोटिस प्रपी-02 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रपी-03 दिखाये जाने पर उसके स से स भाग पर

अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । मुझे दुर्घटना कारित वाहन का नंबर एवं कंपनी की जानकारी नहीं है परन्तु उक्त कार सफेद रंग की थी ।

<u>//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त द्वारा श्री मनोज अग्रवाल अधिवक्ता उप.//</u>

04– यह कहना सही है कि मैने घटना होते हुए नहीं देखा है । यह कहना सही है कि मैने घटना के बारे में उपर जो बताया है वह गांव वालो से सुनी सुनाई बाते हैं । यह कहना सही है कि सुनील साहू वाहन चला रहा था उसे भी सुनी सुनाई बात बताया हूॅ । पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ नही की है । मैने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है ।

समय 12:15 बजे तक ।

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सही/–
गवाह का हस्ताक्षर